



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 1371 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2025

रायपुर, दिनांक 23/07/2025

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 23.07.2025 को मध्याह्न 12:00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन स्थित कुलपति सचिवालय के सभा-कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए –

1. प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. डॉ. निनाद बोधनकर	—	सदस्य
3. डॉ. अशोक कुमार प्रधान	—	सदस्य
4. डॉ. (श्रीमती) प्रभावती शुक्ला	—	सदस्य
5. डॉ. (श्रीमती) रीता वेणुगोपाल	—	सदस्य
6. डॉ. संजय कुमार	—	सदस्य
7. डॉ. जी.के. देशमुख	—	सदस्य
8. डॉ. शांतनु पॉल	—	सदस्य
9. डॉ. रिया तिवारी	—	सदस्य
10. प्रो. अम्बर व्यास, कुलसचिव	—	सचिव

कार्यवृत्त

- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 05.06.2025 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
टीप: कार्यवृत्त संलग्न है।
निर्णय: सम्पुष्टि की गई।
- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 05.06.2025 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।
- निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
i	महर्षि वेद व्यास शासकीय स्नातकोत्तर महावि. भखारा, जिला-धमतरी	B.A.-I Year- Sociology	20	2025-26
		B.A.-I Year- History	20	
		B.Sc.-I Year- Microbiology	20	
		B.Sc.-I Year- Biotechnology	20	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त के साथ अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
ii	नवीन शासकीय महाविद्यालय, सिर्री, कुरुद, जिला—धमतरी	B.A.-I Year- (F.C. Hindi & English) History, Geography, Political Science	90	2025—26
		B.Sc.-I Year- Bio Group (F.C. Hindi & English) Botany, Zoology, Chemistry	45	
		B.Sc.-I Year- Maths Group (F.C. Hindi & English) Maths, Physics, Chemitry	45	
		B.Com.-I Year- All Compulsory Subject	90	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त के साथ अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
iii.	अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर	B.Sc.-II- Computer Sc., Maths, Physics	30	2025-26
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त के साथ अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई। साथ ही कमियों की पूर्ति सत्रांत तक नहीं किये जाने की स्थिति में तृतीय वर्ष की सम्बद्धता हेतु आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
iv	महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, समता कॉलोनी, रायपुर	M.A.-Final Year- Egnlish	30	2025-26
		M.Sc.- Final Year - Computer Sc.	30	
		B.A.-II Year English Litt., Sociology, Political Sc.	30	
		B.Voc.-II- Fashion Design	30	2024-25
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त के साथ अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई। साथ ही कमियों की पूर्ति सत्रांत तक नहीं किये जाने की स्थिति में तृतीय वर्ष की सम्बद्धता हेतु आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
v	श्याम बालाजी महाविद्यालय, महासमुंद	B.A.-II- (FC- Hindi Lit., Political Sc., Sociology	60	2023-24
		B.Sc.Bio.- II Year- Botany, Zoology, Chemistry	30	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त के साथ अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई। साथ ही कमियों की पूर्ति सत्रांत तक नहीं किये जाने की स्थिति में तृतीय वर्ष की सम्बद्धता हेतु आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तदक्रम में शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की भी अंतिम वैधता जून 2025 होने के कारण आगामी कार्यकाल का पत्र 03 माह के भीतर जमा किया जाना अनिवार्य होगा।				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
vi	नेताजी सुभाष महाविद्यालय, बेलभाठा, अभनपुर	B.Com.-I-	25	2025—26
		B.Sc. -I Year - Maths, Physics, Computer Sc., I.T.	20	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त के साथ अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई। साथ ही कमियों की पूर्ति सत्रांत तक नहीं किये जाने की स्थिति में द्वितीय वर्ष की सम्बद्धता हेतु आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।				

स्थायी सम्बद्धता

04. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार स्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या	सत्र
i	सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, नवापारा (राजिम), जिला-रायपुर	M.Sc. Chemistry	15	2025-26
		M.Com.	30	
		M.Sc. Maths	20	
		B.Ed.	100	
निर्णय: निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर स्थायी सम्बद्धता हेतु विनियम 129 कंडिका-5 के समग्र मापदण्ड पूर्ण नहीं किये जाने के कारण स्थायी संबद्धता प्रदान नहीं किये जाने की अनुशंसा की गई।				

05. बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला में एम.एस-सी. बायोटेक्नालॉजी के प्रथम सेमेस्टर में 5 अतिरिक्त सीटों (पेमेंट सीट) में केवल वर्तमान सत्र में प्रवेश के संबंध में विचार करना।

टीप: बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला में संचालित एम.एस-सी. बायोटेक्नालॉजी के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु कुल 20 सीटों का प्रावधान है। वर्तमान में प्रवेश हेतु कुल 105 विद्यार्थी प्रवेशपरीक्षा में सम्मिलित हुए थे। प्रवेश परीक्षा के नतीजे के आधार पर 20 छात्रों को प्रवेश दिया जा चुका है। इनके अलावा कुछ और छात्र एम.एस-सी. बायोटेक्नालॉजी के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। एम.एस-सी. बायोटेक्नालॉजी के प्रथम सेमेस्टर में 5 अतिरिक्त सीटों (पेमेंट सीट) में केवल वर्तमान सत्र में प्रवेश हेतु विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: प्रस्तावानुसार अनुशंसा की गई।

06. B.Ed. Special (M.R.) एवं M.E. Special (M.R.) के स्थान पर पाठ्यक्रम के परिवर्तित नाम B.Ed. Speical Education (ID)/(LD) एवं M.Ed. Special Education (ID)/(LD) तथा B.Voc. के उपाधि के नवीन प्रारूप की अनुशंसा के संबंध में विचार करना।

टीप: छात्र-छात्राओं को B.Ed. Special (M.R.) एवं M.E. Special (M.R.) की उपाधि प्रदान की जा रही है। चूंकि पाठ्यक्र का नाम परिवर्तित कर B.Ed. Speical Education (ID)/(LD) किया गया है। इसी प्रकार से B.Voc. in Renewable Energy Tech. and Management, B.Voc in Interior Designing एवं M.Ed. Special Education (ID)/(LD) की उपाधि प्रोफार्मा भी उपलब्ध नहीं है व इन उपाधियों हेतु छात्र-छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

B.Ed. Special (M.R.) एवं M.E. Special (M.R.) के स्थान पर पाठ्यक्रम के परिवर्तित नाम B.Ed. Speical Education (ID)/(LD) एवं M.Ed. Special Education (ID)/(LD) तथा B.Voc. के उपाधि के नवीन प्रारूप विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: प्रस्तावानुसार अनुशंसा की गई।



07. सत्र 2025-26 में B.Com. IInd वार्षिक प्रणाली से अनुत्तीर्ण छात्रों के संबंध में विचार करना।
टीप: आवेदक नोमेश कुमार द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 05.06.2025 के अनुक्रम में B.Com. IInd वार्षिक प्रणाली से अनुत्तीर्ण है, आवेदक ने जानकारी चाही है कि 2026 B.Com. IInd में वार्षिक प्रणाली अथवा सेमेस्टर प्रणाली में किस प्रणाली से परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। उक्त प्रकरण में संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय का अभिमत निम्नानुसार है –
“नोमेश कुमार व इस प्रकार के समतुल्य अन्य विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुये नीतिगत निर्णय लिया जाय। पुराने पाठ्यक्रम की वार्षिक परीक्षा में भूतपूर्व विद्यार्थी (Ex-Student) के रूप में परीक्षा देने की अनुमति देने के साथ यह भी निश्चित किया जाय कि उक्त विद्यार्थी को कितने अवसर दिया जाय। इस संदर्भ में विद्यार्थियों को अवगत कराने हेतु सूचना जारी करने हेतु अनुशंसा की जाती है।”
उपरोक्तानुसार सत्र 2025-26 में B.Com. IInd वार्षिक प्रणाली से अनुत्तीर्ण छात्रों के संबंध में विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
निर्णय: बी.काम. एवं अन्य स्नातक स्तर के पुराने पाठ्यक्रम की वार्षिक परीक्षा में भूतपूर्व विद्यार्थी (Ex-Student) के रूप में परीक्षा देने की अनुमति व उक्त विद्यार्थी को अवसर दिए जाने के संबंध में प्रचलित नियमों के क्रम में प्रकरण का पुनर्परीक्षण करने हेतु समिति गठित किए जाने की अनुशंसा की गई, जिसके सदस्य निम्नानुसार होंगे –
(1) प्रो. ए.के. श्रीवास्तव, प्राध्यापक, प्रबंध संस्थान
(2) श्री नरेन्द्र वर्मा, उप-कुलसचिव, परीक्षा
(3) श्री के.एस. कश्यप, सहायक कुलसचिव, गोपनीय विभाग
08. प्रस्तावित नवीन अध्यादेश एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग की अनुशंसा के संबंध में विचार करना।
टीप : गृह-विज्ञान अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 18.07.2025 को आयोजित बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-
“एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग के प्रस्तावित नवीन अध्यादेश को सर्वसम्मति से अनुशंसा की गई।”
गृह-विज्ञान अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 18.07.2025 की कार्यवृत्त संलग्न कर विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
निर्णय: प्रस्तावित नवीन अध्यादेश क्र. 216 एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग की अनुशंसा की गई।
09. जय हिंद महाविद्यालय, महासमुंद में संचालित B.B.A. एवं B.Com. की कक्षा को असम्बद्ध करने के संबंध में विचार करना।
टीप: परीक्षा विभाग द्वारा जय हिंद महाविद्यालय, महासमुंद में बी.बी.ए. प्रथम वर्ष एवं बी.कॉम. प्रथम वर्ष की कक्षा में सत्र 2017-18 से वर्तमान सत्र तक प्रवेश निरंक है।
उक्त पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय रिकार्ड (T.R.) के अनुसार किसी भी छात्र ने परीक्षा में सम्मिलित/उपस्थित नहीं होने की जानकारी दी गई है।
परिनियम 27 के कंडिका (9) में उल्लेख है –
9. If, for any reason, a College is unable to impart instruction for two years in any subject for which it is granted affiliation, such affiliation shall be regarded as having lapsed.
उक्त कंडिका को ध्यान में रखते हुए B.B.A. एवं B.Com. पाठ्यक्रम को असम्बद्ध करने हेतु माननीय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
निर्णय: जय हिंद महाविद्यालय, महासमुंद में संचालित B.B.A. एवं B.Com. की कक्षा को परिनियम 27 के कंडिका (9) के अंतर्गत असम्बद्ध किए जाने की अनुशंसा की गई।

10. शासकीय दू.श्री.वै. स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) PGDCA-20 seats एवं P.G.Diploma in Yoga Education and Philosophy-20 सीट वृद्धि के संबंध में विचार करना।

टीप : शासकीय दू.श्री.वै. स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) में PGDCA एवं P.G.Diploma in Yoga Education and Philosophy छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर का पत्र क्र. एफ 3-50/2025/38-1 दिनांक 04.07.2025 के द्वारा सत्र 2025-26 से सीट वृद्धि आदेश निम्नानुसार प्रदान किया गया है :-

क्र.	कक्षा/विषय का नाम	निर्धारित सीट संख्या	वृद्धि हेतु मान्य सीट संख्या	सीट वृद्धि उपरांत निर्धारित कुल सीट संख्या
1.	PGDCA	20	20	40
2.	P.G.Diploma in Yoga Education and Philosophy	20	20	40

उपरोक्तानुसार सीट वृद्धि हेतु विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: उपरोक्त तालिकानुसार सीट वृद्धि की अनुशंसा की गई।

11. मा. उच्च न्यायालय, बिलासपुर में विचाराधीन प्रकरण क्रमांक WPC No. 2395/2022 एवं 2431/2022 के परिप्रेक्ष्य में महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय, रायपुर द्वारा सत्र 2017-18 एवं 2018-19 में B.Voc. Interior Designing पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा एवं परीक्षा परिणाम के संबंध में गठित 'उच्च-स्तरीय समिति' की समीक्षात्मक अनुशंसा के संबंध में विचार करना।

टीप : मा. उच्च न्यायालय, बिलासपुर में विचाराधीन प्रकरण क्रमांक WPC No. 2395/2022 एवं 2431/2022 के परिप्रेक्ष्य में महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय, रायपुर द्वारा सत्र 2017-18 एवं 2018-19 में B.Voc. Interior Designing पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा एवं परीक्षा परिणाम के संबंध में गठित 'उच्च-स्तरीय समिति' की समीक्षात्मक अनुशंसा निम्नवत् है -

विश्वविद्यालय द्वारा गठित 'उच्च-स्तरीय समिति' ने विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर से उपलब्ध कराये गए अभिलेखों तथा प्रवेशित-छात्रों से संबंधित दस्तावेजों, विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों एवं महाविद्यालय के प्रतिनिधियों के कथनों तथा न्यायालय के निर्देशों का सम्यक परीक्षण/अवलोकन किया। तदक्रम में समिति द्वारा निम्नांकित तथ्यों का विशेष रूप से संज्ञान ग्रहण किया गया -

1. महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, समता कॉलोनी, रायपुर को विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की बैठक 05-08-2017 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय पत्रांक 4633/अका./सम्बद्धता/2017 दिनांक 08/08/2017 द्वारा 'B.Voc. (New Course) पाठ्यक्रम' की सत्र 2017-18 से 40 छात्र संख्या के साथ अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की गयी।
2. प्रश्नगत महाविद्यालय को विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की बैठक 09-03-2021 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16-03-2021 में अनुमोदन उपरान्त विश्वविद्यालय पत्रांक 1630/अका./सम्बद्धता/2021 दिनांक 23/03/2021 द्वारा 'B.Voc. (New Course) द्वितीय वर्ष' के लिए सत्र 2018-19 से 40 छात्र संख्या के साथ अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की गयी।
3. प्रश्नगत महाविद्यालय को विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की बैठक 25-03-2022 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25-03-2022 में अनुमोदन उपरान्त विश्वविद्यालय पत्रांक 1449/अका./सम्बद्धता/2022 दिनांक 05/04/2022 द्वारा 'B.Voc. (New Course) तृतीय वर्ष' के लिए सत्र 2019-20 से 40 छात्र संख्या के साथ अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की गयी।

6

4. उपरोक्त के क्रम में महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज द्वारा B.Voc. (New Course) की अस्थायी पाठ्यक्रम-सम्बद्धता के अंतर्गत B.Voc.-Interior Design पाठ्यक्रम का संचालन 'अध्यादेश-188' (अधिसूचना क्रमांक 4872/अका./2017 दिनांक 08-09-2017) की प्रभावशीलता के सापेक्ष सत्र 2017-18 से प्रारम्भ किया गया।
5. विश्वविद्यालय अध्यादेश-188 के क्रम में विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की बैठक 07-08-2021 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12-10-2021 में अनुमोदन उपरान्त सम्बंधित विषय, B.Voc.-Interior Design and New Program, के विनियम क्रमांक-198 को विश्वविद्यालय पत्रांक 308/अका./2021 दिनांक 28-10-2021 द्वारा अधिसूचित किया गया।
6. उपरोक्त के क्रम में प्रश्नगत महाविद्यालय द्वारा B.Voc.-Interior Design पाठ्यक्रम के प्रथम सत्र 2017-18 में कुल 07 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। इन विद्यार्थियों की परीक्षा से सम्बंधित विवरण निम्नवत है –
 - (क) प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर - छात्र विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित परीक्षा में सम्मिलित हुए। छात्रों को परीक्षा उपरांत अंकपत्र/अंकसूची प्रदान की गयी किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक 546/पाठ्यक्रम/ अका./2022 दिनांक 19/04/2022 के क्रम में अंकपत्र/अंकसूची वापसी हेतु कहा गया।
 - (ख) तृतीय सेमेस्टर - छात्र विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित परीक्षा में सम्मिलित हुए किन्तु छात्रों का परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया।
 - (ग) चतुर्थ सेमेस्टर - विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की सेमेस्टर परीक्षा के सम्बन्ध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी।
 - (घ) पंचम सेमेस्टर - विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की सेमेस्टर परीक्षा के सम्बन्ध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी।
 - (ङ) षष्ठम सेमेस्टर - विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की सेमेस्टर परीक्षा के सम्बन्ध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी।
7. उपरोक्त के क्रम में प्रश्नगत महाविद्यालय द्वारा B.Voc.-Interior Design पाठ्यक्रम के द्वितीय सत्र 2018-19 में कुल 13 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। इन विद्यार्थियों की परीक्षा से सम्बंधित विवरण निम्नवत है –
 - (क) प्रथम सेमेस्टर - छात्र विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित परीक्षा में सम्मिलित हुए। छात्रों को परीक्षा उपरांत अंकपत्र/अंकसूची प्रदान की गयी किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक 546/पाठ्यक्रम/ अका./2022 दिनांक 19/04/2022 के क्रम में अंकपत्र/अंकसूची वापसी हेतु कहा गया।
 - (ख) द्वितीय सेमेस्टर - छात्र विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित परीक्षा में सम्मिलित हुए किन्तु छात्रों का परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया।
 - (ग) तृतीय सेमेस्टर - विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की सेमेस्टर परीक्षा के सम्बन्ध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी।
 - (घ) चतुर्थ सेमेस्टर - विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की सेमेस्टर परीक्षा के सम्बन्ध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी।
 - (ङ) पंचम सेमेस्टर - विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की सेमेस्टर परीक्षा के सम्बन्ध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी।
 - (च) षष्ठम सेमेस्टर - विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की सेमेस्टर परीक्षा के सम्बन्ध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी।
8. विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की बैठक 25-03-2022 की अनुशंसा के क्रम में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25-03-2022 में प्रश्नगत प्रकरण में निम्नांकित निर्णय लिया गया, जिसे पत्रांक 546/पाठ्यक्रम/अका./2022 दिनांक 19/04/2022 द्वारा अधिसूचित किया गया –
 - (क) इंटीरियर डिजाइनिंग के अध्ययन बोर्ड का गठन विश्वविद्यालय में नहीं है। अतः इंटीरियर डिजाइनिंग के पाठ्यक्रम को गृहविज्ञान अध्ययन मंडल में सम्मिलित किया जाए।
 - (ख) बी.वॉक इंटीरियर डिजाइनिंग के पाठ्यक्रम का निर्माण गृहविज्ञान अध्ययन मंडल से कराया जाए। विनियम क्रमांक 198 सत्र 2021-22 से प्रभावशील है, अतः विनियम क्रमांक 198 से निर्मित पाठ्यक्रम 2021-22 से प्रभावशील होगा।

- (ग) सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में प्रवेशित छात्रों को नये विनियम क्रमांक 198 में समाहित कर परीक्षा आयोजित की जाए।
- (घ) सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में प्रवेशित छात्रों के प्रकरण को विशेष प्रकरण मानते हुए छात्र-हित में प्रत्येक तीन-तीन माह में परीक्षा आयोजित की जाए। भविष्य में इसे उदाहरण न माना जाए।
- (ङ) सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में परीक्षा में सम्मिलित छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा जारी मूल अंकसूची विश्वविद्यालय में जमा की जाए।
9. विश्वविद्यालय पत्रांक 546/पाठ्यक्रम/अका./2022 दिनांक 19/04/2022 द्वारा अधिसूचित उपरोक्त निर्णय के अनुपालन के क्रम में सत्र 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के समस्त छात्रों ने विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित परीक्षा का फार्म भरते हुए आवश्यक शुल्क जमा किया।
10. यह स्पष्ट है कि प्रारंभिक रूप से समस्त छात्र दिनांक 19/04/2022 द्वारा अधिसूचित निर्णय से सहमत थे, किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें प्रवेश पत्र जारी किये जाने के उपरांत भी सत्र 2017-18 तथा 2018-19 से सम्बंधित छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुये और न्याय की याचना के साथ मा. उच्च न्यायालय, बिलासपुर में याचिका क्रमांक WPC No. 2395 of 2022 एवं 2431 of 2022 दायर कर दी, जो वर्तमान में मा. उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
11. दिनांक 19/04/2022 द्वारा अधिसूचित निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा छात्र-हित की दृष्टि से आयोजित परीक्षा में मात्र सत्र 2019-20 के छात्र ही सम्मिलित हुए, जिनके सन्दर्भ में पाठ्यक्रम पूर्णता के सुनिश्चयन के साथ तीन-तीन माह में परीक्षा का आयोजन करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा समस्त सेमेस्टरों का परीक्षा परिणाम जारी कर अंकपत्र/अंकसूची प्रदान कर दी गयी है।

विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रदत्त उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत तथा मा. उच्च न्यायालय, बिलासपुर की याचिका क्रमांक WPC No. 2395 of 2022 एवं 2431 of 2022 के क्रम में सत्र 2017-18 तथा 2018-19 के प्रभावित छात्रों के लिए छात्र-हित एवं विधिसम्मत समाधान की दृष्टि से समिति अनुशंसायुक्त निम्नलिखित प्रस्ताव मा. कुलपति महोदय के माध्यम से विद्यापरिषद एवं कार्यपरिषद को प्रस्तुत करती है।

1. यह स्पष्ट है कि यदि सत्र 2017-18 तथा 2018-19 से सम्बंधित छात्र भी दिनांक 19/04/2022 द्वारा अधिसूचित निर्णय के क्रम में यदि सत्र 2019-20 के छात्रों की तरह निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते तो वर्तमान स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तथापि छात्रहित में अनुशंसा निम्न बिन्दुओं में प्रस्तावित है-
2. जिन छात्रों के परीक्षा परिणाम घोषित कर अंकपत्र/अंकसूची निर्गत की जा चुकी हैं, उन अंकपत्रों/अंकसूचियों को पूर्णतः वैध एवं विधिसम्मत मानते हुए छात्र-हित में स्वीकार किया जाए।
3. जिन परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है, किंतु उनके परिणाम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं, उनके परिणाम शीघ्र घोषित किए जाएं।
4. सत्र 2017-18 एवं 2018-19 में प्रवेशित छात्रों की शेष कक्षाओं, जिनकी परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है, उनके संबंध में समिति का अभिमत है कि सम्बन्धित छात्रों को एक बार पुनः अवसर प्रदान किया जाए, जिससे वे शेष परीक्षा में सम्मिलित हो सकें तथा उनका शैक्षणिक भविष्य सुरक्षित रह सके।
5. अतः विश्वविद्यालय प्रत्येक 3 माह में विशेष परीक्षा सत्र आयोजित करे और परीक्षा उपरांत उनका परिणाम घोषित कर विधिवत प्रमाणपत्र निर्गत किया जाए। यह अनुशंसा केवल उन छात्रों पर ही लागू मानी जाये, जो सत्र 2017-18 एवं 2018-19 में प्रवेशित हैं, तथा जिनके प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में विचाराधीन हैं।
6. समिति यह भी स्पष्ट करती है कि यह अभिमत न्यायिक-निर्देश एवं विशेष परिस्थितियों में छात्र-हित को ध्यान में रखते हुए प्रदान किया गया है, अतः इसे अन्य पाठ्यक्रमों, सत्रों या मामलों में किसी भी दशा में दृष्टांत (precedent) के रूप में मान्य नहीं किया जाए।

निर्णय: उपरोक्त प्रकरण में गठित उच्च स्तरिय समिति के प्रस्ताव/अनुशंसा पर विचारोपरांत अनुशंसा के बिंदु क्रमांक 1 से 6 को मान्य किए जाने की अनुशंसा की गई।

12. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 05.06.2025 के कार्यवृत्त के बिंदु क्रमांक 3(i) श्री बीरेन्द्र दीपक शिक्षा महाविद्यालय, जामगांव में दर्शित सत्र 2025-26 के स्थान पर 2024-25 संशोधित किए जाने की अनुशंसा करना।

निर्णय: प्रस्तावानुसार संशोधित किए जाने की अनुशंसा की गई।

13. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 05.06.2025 के कार्यवृत्त के बिंदु क्रमांक 3(ii) बी.आई.टी. कॉलेज ऑफ कॉमर्स साइंस, मैनेजमेंट एण्ड आर्ट्स, अभनपुर, केंद्री, रायपुर में दर्शित 2025-26 के स्थान पर 2021-22 संशोधन एवं B.Com.-III Year में सीट संख्या 60 समाहित किए जाने की अनुशंसा करना।

निर्णय: प्रस्तावानुसार संशोधित किए जाने की अनुशंसा की गई।

14. पी-एच.डी. शोध प्रबंध का मूल्यांकन Online लिये जाने के संबंध में विचार करना।

टीप: विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत पी-एच.डी. शोध प्रबंध का मूल्यांकन बाह्य परीक्षा को ऑफलाइन भेजा जाता है एवं अनुशंसा ऑनलाइन/ऑफलाइन प्राप्त होने पर तदनुसार मौखिकी परीक्षा हेतु Online/Offline नियमानुसार अनुमति दी जाती है।
पी-एच.डी. शोध प्रबंध का समय से मूल्यांकन, त्वरित कार्यवाही तथा वित्तीय मित्तव्ययिता के दृष्टिगत बाह्य परीक्षक से मूल्यांकन हेतु सहमति पत्र एवं शोध प्रबंध को बाह्य परीक्षक को Online भेजा जाना एवं Online मूल्यांकन report प्राप्त किया जाना तथा बाह्य परीक्षा भी पूर्णतः Online लिया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय: पी-एच.डी. शोध प्रबंध के मूल्यांकन के साथ-साथ मौखिकी परीक्षा को Online माध्यम से सम्पन्न कराए जाने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुए प्रक्रिया निर्धारण हेतु समिति का गठन निम्नानुसार किया गया -

- (1) प्रो. रीता वेणुगोपाल, संकायाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा संकाय
- (2) प्रो. संजय कुमार, संकायाध्यक्ष, टेक्नालॉजी संकाय
- (3) प्रो. जी.के. देशमुख, संकायाध्यक्ष, प्रबंध संकाय
- (4) श्री के.एस. कश्यप, सहायक कुलसचिव, गोपनीय विभाग

उपरोक्तानुसार गठित समिति की संस्तुतियाँ/सुझाव आगामी विद्यापरिषद्/स्थायी समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत की जाए।

15. जोन एवं राष्ट्रीय स्तर में सम्मिलित होने वाले विश्वविद्यालयीन युवा-उत्सव प्रतिभागियों को स्पोर्ट खिलाड़ियों के साथ परीक्षा में सम्मिलित करने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप: भारतीय विश्वविद्यालयीन संघ (AIU) नई दिल्ली के दिशा-निर्देश अनुसार प्रतिवर्ष पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में अंतर महाविद्यालयीन युवा-उत्सव चयन स्पर्धा आयोजित कर चयनित प्रतिभागी को अंतर विश्वविद्यालयीन युवा उत्सव जोन स्तर में तथा जोन स्तर में चयनित प्रतिभागी को राष्ट्रीय युवा-उत्सव में विश्वविद्यालय के प्रतिनिधित्व का अवसर प्राप्त होता है। जोनल एवं राष्ट्रीय स्तर पर छात्र-छात्राओं की यह सहभागिता सांस्कृतिक कला एवं साहित्यिक क्षेत्र में विश्वविद्यालय को गौरवान्वित करती है।

संचालक, शारीरिक शिक्षा, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के माध्यम से अंतर-महाविद्यालयीन/सेक्टर/राज्य स्तरीय/भारतीय विश्वविद्यालयीन संघ (AIU) नई दिल्ली के तत्वाधान में आयोजित जोनल एवं राष्ट्रीय स्तर के खेलों में सम्मिलित होने वाले खिलाड़ियों (विश्वविद्यालय द्वारा जारी परीक्षा समय सारणी एवं खेल समय सारणी एक साथ होने के कारण) के लिए विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से आयोजित होने वाली परीक्षा में युवा-उत्सव (जोन एवं राष्ट्रीय स्तर में विश्वविद्यालय के प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभागियों को) के प्रतिभागियों को भी सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: भारतीय विश्वविद्यालयीन संघ (AIU) नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त जोनल एवं राष्ट्रीय स्तर के खेलों में सम्मिलित होने वाले खिलाड़ियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से आयोजित होने वाली परीक्षा में AIU से मान्यता प्राप्त युवा-उत्सव में (जोनल एवं राष्ट्रीय स्तर के) विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभागियों को भी सम्मिलित किए जाने की अनुशंसा की गई।

16. अंकसूची एवं टेबुलेशन रिकार्ड (T.R.) में संशोधन से संबंधित नियमों की व्याख्या हेतु गठित समिति की दिनांक 18.07.2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त एवं Tabulation Register (T.R.) में संशोधन/परिवर्धन हेतु नियमावली की अनुशंसा के संबंध में विचार करना।

टीपः अंकसूची एवं टेबुलेशन रिकार्ड (T.R.) में संशोधन से संबंधित नियमों की व्याख्या हेतु गठित समिति की दिनांक 18.07.2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त एवं Tabulation Register (T.R.) में संशोधन/परिवर्धन हेतु नियमावली की प्रति संलग्न है।

निर्णयः व्यापक चर्चा के उपरान्त स्थाई समिति द्वारा प्रस्तावित नियमावली को आवश्यक संशोधन के साथ अनुमोदन की अनुशंसा की गई।

17. विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 20.03.2025 के बिंदु क्रमांक 4(ii) में दर्शित "जैन महाविद्यालय, देवपुरी-फुंडहर रोड, रायपुर (छ.ग.)" को परिवर्तित कर जैन कॉलेज, देवपुरी, फुंडहर रोड, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) के नाम से अस्थायी सम्बद्धता आदेश जारी किए जाने के संबंध में विचार करना।

टीपः जैन कॉलेज, रायपुर के द्वारा पत्र Ref.No.JCR/2025/001 Date:-04.07.2025 प्रस्तुत करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा जारी अस्थायी सम्बद्धता आदेश क्रमांक/626/अका./सम्बद्धता/2025 रायपुर, दिनांक 02/04/2025 में अंकित "जैन महाविद्यालय, देवपुरी-फुंडहर रोड, रायपुर (छ.ग.)" को परिवर्तित कर जैन कॉलेज, देवपुरी, फुंडहर रोड, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) के नाम से अस्थायी सम्बद्धता आदेश जारी करने का निवेदन किया गया है।

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर नया रायपुर द्वारा नवीन अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु जारी किए गए अनुमति पत्र क्र. एफ 17-5/2024/38-2 दिनांक 13.06.2024 एवं कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय इन्द्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्र. 1327/13डी/आउशि/अ.शै.प्र./2023-24 दिनांक 21.06.2024 में जैन कॉलेज रायपुर, पता देवपुरी-फुंडहर रोड, रायपुर (छ.ग.) के नाम से आदेश/अनुमति पत्र जारी हुआ है। विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 20.03.2025 के बिंदु क्रमांक 4(ii) में जैन महाविद्यालय, देवपुरी-फुंडहर रोड, रायपुर के नाम से अस्थायी सम्बद्धता आदेश जारी किए जाने की अनुशंसा की गई है।

उपरोक्तानुसार "जैन महाविद्यालय, देवपुरी-फुंडहर रोड, रायपुर (छ.ग.)" को परिवर्तित कर जैन कॉलेज, देवपुरी, फुंडहर रोड, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) के नाम से संशोधित अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः प्रस्तावानुसार अनुशंसा की गई।

18. अध्यादेश क्र. 46 DOCTOR OF LETTERS/SCIENCE/LAWS में संशोधन के संबंध में विचार करना।

टीपः विश्वविद्यालय में शोध कार्य हेतु पी-एच. डी. उपाधि पंजीयन के साथ ही डी. लिट् / डी. एस-सी. शोध उपाधि हेतु भी विद्यार्थियों का पंजीयन सुदीर्घ काल से हो रहा है। अध्यादेश - 45 के अनुसार पी-एच.डी. तथा अध्यादेश - 46 के अनुसार डी.लिट्. / डी.एस-सी. उपाधि हेतु पंजीयन होता रहा है। पी-एच. डी. संबंधी अध्यादेश - 45 में यू.जी.सी. के निर्देशानुसार पूर्व में यू.जी.सी. रेगुलेशन - 2009, तत्पश्चात यू.जी.सी. रेगुलेशन - 2016 के अनुसार संशोधन हुआ तथा वर्तमान में यू.जी.सी. रेगुलेशन - 2022 के अनुसार संशोधित अध्यादेश - 45 प्रचलन में है, किन्तु डी.लिट्. / डी.एस-सी. संबंधी अध्यादेश - 46 में आरम्भिक समय से आज तक कोई परिवर्तन / संशोधन नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग द्वारा डी.लिट./डी.एस.सी. के संबंध में किसी प्रकार का निर्देश जारी नहीं किया जाता है। अतः NEP-2020 लागू होने के उपरान्त वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत डी.लिट./डी.एस.सी. संबंधी अध्यादेश- 46 DOCTOR OF LETTERS/SCIENCE/LAWS में संशोधन के संबंध में विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: अध्यादेश क्र. 46 DOCTOR OF LETTERS/SCIENCE/LAWS में संशोधन के लिए समिति गठित किए जाने की अनुशंसा की गई, जिसके सदस्य निम्नानुसार होंगे -

- (1) प्रो. कल्लोल कुमार घोष, प्राध्यापक, रसायन अध्ययनशाला
- (2) प्रो. निनाद बोधनकर, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय
- (3) प्रो. राजीव चौधरी, प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला
- (4) श्री सनत कुमार वर्मा, उप-कुलसचिव, अकादमिक विभाग

19. ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला में संचालित एम.लिब. आई.एस.सी. में सत्र 2025-26 में 05 सीट वृद्धि किये जाने के संबंध में विचार करना।

टीपः ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला में संचालित एम.लिब. एण्ड आई.एस.सी. में 20 सीट (10 फ्री एवं 10 पेमेन्ट सीट) निर्धारित है। अध्ययनशाला में 20 सीटों पर प्रवेश हो चुका है। सत्र 2025-26 में अतिरिक्त विद्यार्थी प्रवेश के इच्छुक हैं। एम.लिब. आई.एस.सी. में सत्र 2025-26 में 05 सीट वृद्धि किये जाने हेतु विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: प्रस्तावानुसार अनुशंसा की गई।

20. एम.ए. मनोविज्ञान सत्र 2025-26 में अतिरिक्त 15 सीट वृद्धि किये जाने के संबंध में विचार करना।

टीपः मनोविज्ञान अध्ययनशाला में संचालित एम.ए. मनोविज्ञान सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु 20 सीट निर्धारित है 20 सीट में प्रवेश पूर्ण हो चुका है। एम.ए. मनोविज्ञान सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु फीस स्ट्रक्चर 2025-26 संलग्न कर प्रस्तुत है। जिसमें द्यूशन फीस को 1760/- के साथ 6440/- वृद्धि कर कुल द्यूटेशन फीस 8200/- लिया गया है शेष फीस यथावत है। इस प्रकार पेमेंट सीट की फीस 12000/- राशि निर्धारित की गई है। अतः अतिरिक्त 15 सीट पेमेन्ट सीट में वृद्धि किये जाने हेतु विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: एम.ए. मनोविज्ञान सत्र 2025-26 में अतिरिक्त 15 पेमेंट सीट वृद्धि करते हुए प्रवेश हेतु द्यूशन फीस 8200/- के साथ कुल 12000/- फीस निर्धारित किए जाने की अनुशंसा की गई।

21. सत्र 2025-26 के लिए निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु प्रकरण विद्यापरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय
1	शहीद राजीव पाण्डेय शासकीय महाविद्यालय, भाटागांव जिला- रायपुर
2	शास. शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय, बिलाईगढ़, जिला- सारंगढ़-बिलाईगढ़
3	नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, गरियाबंद जिला- गरियाबंद
4	नवीन शासकीय महाविद्यालय, कोमाखान, तह.- बागबाहरा जिला- महसमुंद
5	शासकीय नवीन महाविद्यालय, पिरदा जिला- महसमुंद
6	शास. दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार
7	फणिकेश्वर नाथ शासकीय महाविद्यालय, फिंगेश्वर, जिला-गरियाबंद
8	शासकीय नवीन महाविद्यालय, गुढ़ियारी जिला- रायपुर
9	गोविंद सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय, भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार

क्रमांक	अशासकीय महाविद्यालय
1	नेताजी सुभाष महाविद्यालय, ग्राम-बेलभाठा, व्हाया-अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
2	सेंट्रल कालेज आफ एजुकेशन, प्लॉट नं.-1131/3, रिंग रोड नं.-3, ग्राम-तुलसी, रायपुर
3	श्याम बालाजी महाविद्यालय, महासमुंद
4	सौ. कुसुम ताई दाबके विधि महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
5	विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, रामकृष्ण परमहंस नगर, कोटा, रायपुर (छ.ग.)
6	कचना धुरवा, महाविद्यालय, छुरा (राजिम) जिला-रायपुर (छ.ग.)
7	विप्र कला, वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जी.ई. रोड, आमापारा, रायपुर (छ.ग.)
8	रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, 94, सुंदर नगर, रायपुर (छ.ग.)
9	गुरुकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी, रायपुर (छ.ग.)
10	महंत लक्ष्मी नाराण दास महा. रायपुर (छ.ग.)
11	स्वामी अजय गुरुदेव इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी ग्राम- मुड़पार, पो.- खरोरा, तह.- तिल्दा, जिला- रायपुर
12	महात्मा गाँधी महाविद्यालय स्टेशन रोड, रायपुर (छ.ग.)
13	सांत्वना मनोपचार एवं अनुसंधान संस्थान पी.जी. इंस्टीट्यूट आफ बिहेवियरल एंड मेडिकल साइंसेस रायपुर (छ.ग.)
14	साई सदन एजुकेशन स्कूल बेन्द्री तह.- अभनपुर जिला- रायपुर
15	दिशा विधि महाविद्यालय, सत्य विहार, विधानसभा चंद्रखुरी मार्ग, रायपुर
16	जय हिंद महाविद्यालय, लोहानी बिल्डींग, महासमुंद (छ.ग.)
17	श्रीराम कालेज, ग्राम व पोस्ट-सारागांव, जिला- रायपुर (छ.ग.)
18	सी.आई.टी. साइंस एंड कामर्स कॉलेज, ग्राम-भेलवाडीह, अभनपुर जिला-रायपुर
19	सी.आई.टी. बी.एड. कालेज, खसरा नं.-160, स्ट्रीट-एन.एच.-43, ग्राम-भेलवाडीह, पोस्ट-उपरवारा, जिला-रायपुर
20	कमलाकांत शुक्ल इंस्टीट्यूट, प्लॉट नं. 2661/24, देवरी, भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा

निर्णय: अनुशंसा की गई।

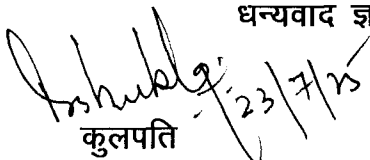
अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

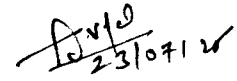
01. अध्यादेश क्रमांक 129 Diploma in Computer Application (D.C.A.) के संशोधन के संबंध में विचार करना।

टीप : संगणक विज्ञान अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 05.05.2025 के निर्णयानुसार अध्यादेश क्रमांक 129 Diploma in Computer Application (D.C.A.) में संशोधन हेतु विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: अनुशंसा की गई।

धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष

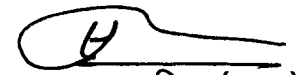

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 1372 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2025

रायपुर, दिनांक 23 / 07 / 2025

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
3. उ.कु.स. परीक्षा / सामान्य प्रशासन / स.कु.स. गोपनीय,
4. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.,
5. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)